International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 06-06-2020; Accepted: 22-06-2020; Published: 07-07-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 15-19

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): समीक्षात्मक विश्लेषण

सुभाष भिमराव दोंदे
सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, किर्ति महाविद्यालय, दादर (प.), मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
गरीबी उन्मूलन, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन और पर्यावरण की रक्षा को अधिक कारगर बनाने हेतु 17 मुख्य लक्ष्यों और 169 उप-लक्ष्यों (टार्गेट्स) के साथ 2016 से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की जगह ली। "कोई पीछे न छूटे" इस सिद्धांत पर सभी लक्ष्यों को पांच स्तंभ- जैसे लोग, समृद्धि, ग्रह, शांति और साझेदारी के इर्दगिर्द बुना गया है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की असंगतता, परस्पर विरोधाभास और इनके निर्धारण पश्चात निगरानी करने और मापने की समस्त अंतर्निहित कठिनाइयां की आलोचना हुयी है। लक्ष्यों, उप-लक्ष्यों का हद से ज्यादा होना और एक साथ होना ऐसी स्थितियों में प्राधान्यता किन लक्ष्यों को मिलनी चाहिए? इसके बारें में सुस्पष्ट नीति नही है। एसडीजी यह अनिवार्य संधि (ट्रीटी) नही होकर मानो आदर्शवादी आकांक्षाओं एक स्वैच्छिक समझौता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में एसडीजी सूचकांक में भारत को 60 अंकों का समग्र स्कोर मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 वें स्थान पर है। किन्तु स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित लक्ष्य 6 में भारत का समग्र स्कोर 88 है। विश्व मे हर छटा आदमी भरतीय है इसलिए आने वाले दशक में भारत को एसडीजी के संदर्भ मे कड़ी मशक्कत करनी होगी। समावेशन और एकीकरण द्वारा सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का संतुलित समाधान ढूँढते हुये समस्त 17 लक्ष्यों के सूचकांक का स्कोर बढ़ाना होगा। प्रस्तुत अनुसन्धान लेख में एसडीजी के समस्त पहलुओं का समीक्षणात्मक विश्लेषण किया गया है।

मुल शब्द: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, एमडीजी, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी, संयुक्त राष्ट्र, सतत विकास, पर्यावरण, जलवायु कार्यवाही

1. प्रस्तावना
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को कार्यान्वित करने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र और इसकी तकनीकी एजेंसियों का विकास के तीन परस्परावलम्बी आयामों- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा विभिन्न विश्व शिखर सम्मेलनों द्वारा खंडित और असंबद्ध रूप में सक्रिय था। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र के एमडीजी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी); संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप); विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ); संयुक्त राष्ट्र्र बाल कोष (यूनिसेफ); संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को); और अन्य विकास एजेंसियों का अभिसरण हुआ। विश्वमें एमडीजी के रूप में नई और अभिनव साझेदारी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के समायोजन में सार्वजनिक आम राय बनाने का प्रयास अंकुरित हुआ। लोगों और उनकी तात्कालिक जरूरतों को सबसे आगे रखकर, एमडीजी ने विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से निर्णय प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस दौरान एक अरब (बिलियन) से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली और भूख मिटाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल हुयी। इसके अलावा पहले से ज्यादा लड़कियां स्कूल जाने लगी और हमारे पृथ्वी ग्रह को रक्षा प्रदान करने में मदद मिली। फिर भी असमानताएं बरकरार हैं और प्रगति असमान है। दुनिया के कुछ हिस्सों में गरीबी अत्यधिक रूप से केंद्रित हैं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं बिल्कुल सुस्पष्ट हैं। सन 2000 से 2015 तक एमडीजी का कार्यकाल रहा और इसमें कुल आठ अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्य अंतर्भूत थे। 2016 से सतत या चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने एमडीजी की जगह ली।

सर्वव्यापी, दूरगामी, जन-केंद्रित और सार्वभौमिक कहकर एसडीजी को वर्णित किया गया है। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन और पर्यावरण की रक्षा यह इस 'परिवर्तनकारी एजेंडा' या

'एजेंडा-2030' का मुख्य उद्देश्य है। समस्त लक्ष्य एक अच्छी तरह से परामर्शित ढांचा हैं, जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत, राजनीतिक रूप से शिरोधार्य और सार्वजनिक रूप से सहजज्ञ है। यह लक्ष्य हमें आवश्यक सहयोग और संरेखण (गठबंधन) सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मौका प्रदान करते हैं; ताकि हम वैश्विक दृष्टिकोणों को अपने बच्चों और नाती-पोतों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य हासिल करने के लिए लागू कर सके। ग्रिग्स (2013) ने सतत विकास को पुनः परिभाषित किया है- "सतत विकास एक ऐसा विकास जो वर्तमान विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए पृथ्वी के जीवन-अवलंब प्रणाली को सुरक्षीत करता है, जिस पर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण निर्भर है"। इसलिये समस्त एसडीजी का एकीकरण द्वारा इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए।
"कोई पीछे न छूटे" इस सिद्धांत पर एसडीजी आधारित हैं। 'सबका साथ सबका विकास' यह तत्कालीन भारत सरकार का नारा भी एसडीजी के इसी सिध्दांत को अधोरेखित करता है। एसडीजी के 17 लक्ष्यों को 5 P's से बने पांच स्तंभों ('P' अद्याक्षर) के इर्दगिर्द बुना या संरचित किया गया है - लोग (People), समृद्धि (Prosperity), ग्रह (Planet), शांति और साझेदारी (Peace & Partnership)। इन लक्ष्यों को महत्व के पांच क्षेत्रों (5 पी) जोड़ा गया है ।

लोग (People)
1. शून्य गरीबी (लक्ष्य 1)
2. शून्य भुखमरी (लक्ष्य 2)
3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली (लक्ष्य 3)
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य 4)
5. लैंगिक समानता (लक्ष्य 5)
6. स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6)

समृद्धि (Prosperity)
1. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7)
2. उत्कृष्ट काम और आर्थिक वृध्दि (लक्ष्य 8)
3. उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं (लक्ष्य 9)
4. असमानता में कमी (10)
5. संवहनीय शहर और समुदाय (लक्ष्य 11)
6. उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन (लक्ष्य 12)

ग्रह (Planet)
1. जलवायु कार्यवाही (लक्ष्य 13)
2. जलीय जीवों की सुरक्षा (लक्ष्य 14)
3. थलीय जीवों की सुरक्षा (लक्ष्य 15)

शांति और साझेदारी (Peace and Partnership)
1. शांति, न्याय और सशक्त संस्थायें (लक्ष्य 16)
2. लक्ष प्राप्ती मे सामूहिक साझेदारी (लक्ष्य 17)

एमडीजी के अधूरे एजेंडे की निरंतरता और गति बरकरार रखते और समेकन को दर्शाते हुए एसडीजी ने पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ साथ समाविष्टि, सामाजिक न्याय और शहरीकरण की अतिरिक्त चुनौतियों का संबोधन करते हुए वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने हेतु सिव्हिल सोसायटी आर्गेनाइजेशन और निजी क्षेत्र को शामिल किया है। 193 सदस्य देशों ने एसडीजी को अनुमोदित किया है।

2. एसडीजी की आलोचना

किन्तु इस महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की असंगतता के लिए आलोचना की गई है, इसे निर्धारित करना, लागू करना और निगरानी करना मुश्किल है। एसडीजी लक्ष्यों में सम्मिलित 17 मुख्य लक्ष्यों में कुछ लक्ष्य परस्पर-विरोधी है, जो एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुये दिखते है । साथ ही साथ सबसे जरूरी या मूलभूत प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की गयी है। इसके अलावा समस्त 17 मुख्य लक्ष्यों या गोल्स (साध्य या प्राप्त करने योग्य) के अंदर कुल 169 उप-लक्ष्य या टार्गेट्स (व्यवहार्य एवं कार्रवाई योग्य) सम्मिलित किये गये है जो कुल संख्या के तौर पर बहुतही अधिक है। यह संभवत: बड़ी सलाहकार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है; जहां हर कोई अपने हित के क्षेत्रों को शामिल करना चाहता था। एमडीजी के साथ तुलना में एवं पर्यावरणीय संवहनीयता के आधार पर भी एसडीजी के लक्ष्यों की आलोचना हुई है। सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता इन लक्ष्यों के बीच संभावित विसंगति मौजूद है, इसके बावजूद इन लक्ष्यों को मापा और मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? इसके बारें में भी सवाल उठे है। एसडीजी में कई लक्ष्यों की प्रगति को मापने के संकेतक अभी तक निर्धारित नहीं किये गए हैं। मान लो की अगर प्रति लक्ष्य दो संकेतक तक सीमित हैं, तो निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए 338 संकेतक होंगे। 169 का लक्ष्यों की दुगनी संकेतकों के जरिये प्रगति मापना यह बिल्कुल भी कोई लक्ष्य नहीं होने समतुल्य है। मापनशीलता डेटा की उपलब्धता और उन्हें मापने की क्षमता पर निर्भर रहती है।
अपने पूर्ववर्तियों की तरह, एसडीजी मानो उच्च आदर्शवादी आकांक्षाओं का एक खोखला बयान है, जो एक एक स्वैच्छिक समझौता या करार है कोई अनिवार्य

संधि (ट्रीटी) नही; यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अनुमोदित राष्ट्र अपनी सहूलियत के हिसाब से कौनसे लक्ष्यों को कितना तवज्जो देना है यह तय करेंगे और अपनी प्रतिबद्धताओं को किनारा कर सकते है। यह एजेंडा उन पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों को लागू नही करता, जो एक अवसर प्रस्तुत करता है की राष्ट्र अपनी इच्छा और सहूलियत मध्यनजर रखते हुए इन्हें अपनाये। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एसडीजी आर्थिक रूप से अलाभकारी है। एक अनुमान यह है कि इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 2 से 3 ट्रिलियन (20 से 30 खरब) अमरीकन डॉलर के सार्वजनिक और निजी धन के लागत की अगले 15 वर्षों तक आवश्यकता होगी। यह राशी वार्षिक वैश्विक बचत के लगभग 15 प्रतिशत या विश्व जीडीपी का 4 प्रतिशत के समतुल्य है।

कई देशों को अभी भी एमडीजी और एसडीजी के बीच के अंतर को समझना है, विशेष रूप से एक -उनकी सार्वभौमिकता, दो-नए डेटा तरीकों की विशाल क्षमता - उनके कार्यान्वयन में मदद करने के लिए, और और तीन-'सिस्टम सोच या दृष्टिकोण'- जिसकी आवश्यकता है एक दूरदृष्टि प्रदान करने के लिये। एक खतरा यह है कि लक्ष्यों के बीच संभावित सकारात्मक परस्पर क्रिया की समझ के बिना सहुलियत से राष्ट्र निहाय व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है। विकसनशील देशों में एसडीजी की मात्रा निर्धारित (परिमाणित) करने के लिए डेटा (आंकडों) की आवश्यकता है; लेकिन यह देश डेटा के मामले में उल्लेखनीय रूप से निर्धन है। वास्तव में, 1990 के बाद से एक भी ऐसा देश नही था जो एमडीजी के किसी भी ऐसी पाँच साल की अवधि का महज 70 प्रतिशत प्रगति (तरक्की) रिपोर्ट करें, क्योंकि ऐसा करने के लिए इन देशों के पास पर्याप्त डेटा ही नही था।

विभिन्न एसडीजी के बीच अक्सर एक दुविधा या विरोधाभास होता है, जिसका अर्थ है कि एक लक्ष्य की प्राप्ती अन्य लक्ष्यों की गिरावट का कारण बन जाती है। उदाहरण के तौर पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच की सीमा पर अराल सागर का है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। झील को मिलने वाली नदियों को रेगिस्तानी खेत की सिंचाई के लिए मोड़ दिया गया है, जिससे 1960 के बाद से यह 90 प्रतिशत से अधिक कम या सिकुड गया है। खेत की सिंचाई ने एसडीजी लक्ष्य 2 हासिल करने में मदद की, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। लेकिन इस प्रगति को एक अन्य लक्ष्य के बलिदान के रूप में प्राप्त किया गया है, जो लक्ष्य 14 है और जिसका उद्देश्य जलीय वन्यजीवों की रक्षा करना है। इस परिप्रेक्ष्य में भूमि उपयोग, जैव-विविधता और जलवायु जैसे मुद्दों का एक व्यापक विश्लेषण करना जरुरी है ताकि ऐसी नीतियाँ ना बनायी जाए जिसमें एक लक्ष्य का समाधान एक दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। इसके अलावा बेहतर समन्वय के लिए अनुसंधान परियोजनाओं में एसडीजी के परस्पर विरोधी और अन्योन्याश्रित स्वरूप को ध्यान में रखकर निधि सुनिश्चित होना चाहिए।

एसडीजी का जलवायु कार्यवाही (लक्ष्य 13) एक स्पष्ट लक्ष्य है, जिसे बाद में जलवायु परिवर्तन संबंधित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21 वें सम्मेलन (COP21) के पेरिस समझौते द्वारा सुदृढ किया गया है। हालाँकि, स्वैच्छिक एसडीजी के विपरीत औपचारिक पेरिस समझौता सरकारों द्वारा प्रतिबद्धता है जो अब कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस पर 55% देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और यह देश 55% से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। आईपीसीसी ने सिफारिश की है इस शताब्दी के आखिर तक हमारे ग्रह का तापमान 2 डिग्री से कम तक सीमित होना चाहिए। इसके लिए बड़ी आवश्यकता है की 2050 तक बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्रणालियोंमें परिवर्तन करते हुए हम उत्सर्जन में 40 से 70 प्रतिशत कटौती करे ताकि 2100 तक उत्सर्जन का स्तर शून्य हो। इसके लिए यह जरुरी है की कुशल एवं नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर बदलाव होकर वर्तमान स्तरों की तुलना में यह 3-4 गुना तात्काल बढ़े। साथ ही साथ इसके लिये जरूरी है की वनीकरण तेजीसे हो और अधिक हो और वनों की कटाई भी कम हो। इस संदर्भ में हमारी मौजूदा पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह भावी पीढ़ी के लिए समृद्ध प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। विषय केवल जलवायु परितर्वन का नहीं है, बल्कि 'जलवायु न्याय' का है। जलवायु परितर्वन का दुष्प्रभाव सबसे अधिक निर्धन और वंचित लोगों पर होता है। जब बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे ज्यादा मुसीबत इन्ही पर टूटती है।

आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण इन आयामों में 'सिस्टम सोच (थिंकिंग), द्वारा एकीकरण की आवश्यकता पर समझौते का स्वागत है, लेकिन इस दृष्टिकोण में निहित कठिनाइयों को कम आंकना नही चाहिए। केस स्टडीज के तौर पर एक उदाहरण में देखा गया कि उप-सहारा अफ्रीका में शून्य भूख के मार्ग पर कार्रवाई लक्ष्य 1 (गरीबी), लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य और कल्याण), और लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के साथ सकारात्मक रूप से परस्पर प्रभाव करती है। हालांकि, खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 13 (जलवायु कार्यवाही) के

साथ एक अधिक जटिल परस्पर प्रभाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों को कृषि 20-35% का योगदान करती है, इसलिए जलवायु शमन कुछ प्रकार के खाद्य उत्पादन (विशेष रूप से मांस उत्पादन) को बाधित करता है। इसके अतिरिक्त, खाद्य उत्पादन (लक्ष्य 2) अक्षय ऊर्जा उत्पादन (लक्ष्य 7) और पर्यावरण संरक्षण (लक्ष्य 14 और 15) के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके विपरीत, जलवायु स्थिरता (लक्ष्य 13) और महासागरीय अम्लीकरण (लक्ष्य 14) को रोकना स्थायी खाद्य उत्पादन और मत्स्य पालन (लक्ष्य 2) का समर्थन करेगा।

3. भारत के प्रतिप्रेक्ष्य में एसडीजी

एक राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और अपनी निहित उद्यमशीलता के बलबुते पर परिवर्तन के शिखर पर है। इसके युवाओं को प्रारंभिक शिक्षा और कार्रवाई में लगे रहने की आवश्यकता है ताकी एक दीर्घकालिक गति बनाने और उसे बरकरार रखने में यह युवा पिढी सफल हो और एसडीजी के बचे हुए दस साल के कार्यकाल में वो देश को इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में सफलता हासिल करने में मदद कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को एसडीजी के लिए 2.64 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर निवेश की आवश्यकता है, जो 2030 तक निजी-क्षेत्र को 1.12 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश अवसर प्रदान करता है। इस अध्ययन में निजी-क्षेत्र को आज से लेकर 2030 तक तीन अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) - केंद्रित लक्ष्यों में योगदान करने के अवसरों की पहचान की गई है; जिसमें लक्ष्य 6 (स्वच्छ पानी और साफ सफाई), लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा) सम्मिलित है। देश की 7 फीसदी आबादी के पास अभी भी बिजली नहीं है। 24 फीसदी लोगों के पास अभी भी साफ पानी और साफ-सफाई की सुविधा नहीं है और 2030 तक इस अंतर को पार करने के लिए करीब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।

2030 तक लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे) में सुधार के लिए निजी-क्षेत्र परिवहन और डिजिटल क्षेत्रों में निवेश कर सकता है; जिसके लिए लगभग 226.5 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, परिवहन अवसंरचना को अकेले 176.9 बिलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता होगी और अवशिष्ट राशि डिजिटल क्षेत्र के लिए है जिसकी वर्तमान पहुंच केवल 45 प्रतिशत है। आज कोरोना महामारी से उपजे लॉक-डावून, सोशल डिस्टंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे हालात में डिजिटल क्षेत्र की पहुँच दूर दराज क्षेत्र में तत्काल बढ़नी जरूरी है।

नीति आयोग द्वारा 2019-20 के एसडीजी सूचकांक में भारत को 2018 के स्कोर के मुकाबले तीन अंको की बढ़ोतरी के साथ 60 अंकों का समग्र स्कोर दिया गया है। इस सूची में केरल 70 स्कोर के साथ सबसे ऊपर है, जबकि बिहार (50) सबसे नीचे है। इस दौड़ में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम केरल को टक्कर दे रहे है। भारत के लिए समग्र स्कोर में मामूली सुधार स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और नवाचार के क्षेत्रों में इसके सुधार के कारण हुआ है। लक्ष्य 6 के संबंध में - स्वच्छ जल और स्वच्छता - भारत का समग्र स्कोर 88 है। किन्तु भारत का अन्य एसडीजी सूचकांक मुख्य रूप से शून्य भूखमरी (लक्ष्य 2) और लैंगिक समानता (लक्ष्य 5) केवल मामूली सुधार हुआ है, लक्ष 2 में भारत का कुल स्कोर 35 है, जिसमें गोवा (76) का स्कोर उच्चतम है और झारखंड (22) का स्कोर सबसे कम। भारत कुपोषण और भूख के उच्च स्तर का सामना कर रहा है - यह वैश्विक भूख सूचकांक में 102 वें स्थान पर है - इसे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। लक्ष्य 5 में भारत का कुल स्कोर 42 है और राज्यों में हिमाचल प्रदेश (52) सबसे आगे है और तेलंगाना (26) सबसे नीचे है। निम्न लिंग अनुपात, कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व, असमान वेतन जैसे संकेतक ने इसमें योगदान दिया है। 'असमानता में कमी' से जुड़े लक्ष्य 10 के तहत यह सुनिश्चित करना है की देश की जनसंख्या के नीचे के 40% आर्थिक- सामाजिक दुर्बलों की आय वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत की उच्च आबादी और धन का असमान वितरण गिन्नी सूचकांक (0.35) को निचले स्तर पर रखने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में, हालांकि, यह 0.50 के करीब होने का अनुमान है, जो अब तक का उच्चतम मूल्य है। प्रधानमंत्री की जन-धन योजना लक्ष्य 10 के परिप्रेक्ष्य में समावेशन, वित्तीय सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक रणनीति है।

4. उपसंहार

संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भूख लगातार तीसरे वर्ष बढ़ी है, जबकि 2017 में लांसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 5 प्रतिशत से कम देश बचपन के मोटापे और तपेदिक (क्षयरोग) के उपलक्ष्यों को पूरा करने दिशा में अग्रेसर है। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की

आशंका जतायी गयी थी, जिसे हम सर्वकालिक उच्च वृद्धि कह सकते है। यह सभी घटनायें उदाहरण के तौर पर एसडीजी किस दिशामें अग्रेसर है इसकी झाँकी दिखलाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकांश विकसित देशों ने पिछले 40 वर्षों में अपनी सकल राष्ट्रीय आय से 0.7% राशि को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए आवंटित करने के लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। देश के बजट के भीतर धन आवंटन में प्राथमिकता की कमी भी एसडीजी की एक समस्या है। जवाबदेही की समान कमी मंत्रालय, राज्य और स्थानीय प्रशासन स्तर पर मौजूद है। अगर हम एसडीजी को गंभीरता से लेते हैं तो सभी स्तरों पर जवाबदेही को मजबूत करने की जरूरत है। विश्व मे हर छटा आदमी भारतीय है, इसलिये वैश्विक स्तर पर एसडीजी का सफल होना यह भारत की सफलता पर निर्भर है।

संदर्भ सूची

1. स्वैन रं. बा. सतत विकास लक्ष्यों का समीक्षणात्मक विश्लेषण. हैंडबुक ऑफ सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड रिसर्च. 2017; पन्ने: 341-355.
2. लिम एम. एम. एल.,जॉर्जेसें पी. एस., और व्यबोर्न के. ए. एंथ्रोपोसीन में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करना - एक सिस्टम दृष्टिकोण इकोलॉजी एंड सोसायटी. 2018; 23, (3): 19 पन्ने
3. मॉर्टन एस., पेनकेन डी. और स्कायर्स एन. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), और उनका कार्यान्वयन: स्वास्थ्य, विकास और इक्विटी के लिए एक राष्ट्रीय वैश्विक ढांचा के ढांचा को हर स्तर पर एक सिस्टम दृष्टिकोण की आवश्यकता. ब्रिटिश मेडिकल बुलेटिन. 2017; 124 (1): 81-90.
4. कुमार एस., कुमार एन. और सक्सेना वी. सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तक: अधूरे एजेंडे को संबोधित करना और सतत विकास और साझेदारी को मजबूत बनाना. इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. 2016; 41(1): 1-4.
5. 2030 तक एसडीजी को पूरा करने के लिए भारत को 2.64 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता: रिपोर्ट इकोनॉमिक टाईम्स, जनवरी 7, 2020.